

बिहार विधान परिषद् सचिवालय
पटना - 800015

आवश्यक सूचना
(विज्ञापन संख्या-03/2023)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अंतर्गत अलग-अलग संवर्गों में सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या-03/2023 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद् के वेबसाईट www.biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं-

1.	ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 25.07.2023 को 9:30 बजे पूर्वा. से
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 25.07.2023 को 9:30 बजे पूर्वा. से
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.08.2023 को 11.59 बजे अप. तक
4.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22.08.2023 को 11.59 बजे अप. तक

नोट:-

1. उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणों एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट www.biharvidhanparishad.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे।
3. उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
4. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिनांक 25.07.2023 से हेल्पलाइन नम्बर - 09102045333 या 09102045444 पर सोमवार से शनिवार 10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. तक की अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
5. blcsrecruitment@gmail.com पर ई-मेल भेज कर उपर्युक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कमलेन्दु
21.07.2023

(कमलेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्
पटना।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

पटना - 800015

विज्ञापन सं.-03/2023

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अंतर्गत अलग-अलग संवर्गों में सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित तिथि -

1.	ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 25.07.2023 को 9:30 बजे पूर्वा. से
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	दिनांक 25.07.2023 को 9:30 बजे पूर्वा. से
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.08.2023 को 11.59 बजे अप. तक
4.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22.08.2023 को 11.59 बजे अप. तक

नोट : सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद् के वेबसाइट पर किया जायेगा।

*विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना, किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन या किसी चरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान/ वेतन स्तर	आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या							पदों की कुल संख्या	दिव्यांग	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पौती/नाती/नातीनी
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
			35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
1.	सुरक्षा प्रहरी	Level-3	22	08	0	09	06	02	05	52	0	01
			08	02	0	03	02		01	16		
2.	चालक	Level-2	01	0	01	01	01	0	0	04	0	0
			01	0	0	0	0		0	01		

3. शैक्षणिक योग्यता:- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत् शैक्षणिक/शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक/शारीरिक योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा -

क्र.	पदनाम	सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर	शैक्षणिक/शारीरिक योग्यता

30.3.2023

1.	सुरक्षा प्रहरी	Level-3 (21,700 - 69,100) + नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते	<ul style="list-style-type: none"> राज्य/केन्द्र सरकार के इण्टरमीडिएट परिषद् या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विषय में इण्टरमीडिएट। शारीरिक मानदण्ड: (क) पुरुष - ऊंचाई 167.5 से.मी., तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय, छाती 76.5 से.मी. - 81 से.मी., दृष्टि 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से। (ख) स्त्री - ऊंचाई 154.6 से.मी., तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय, दृष्टि 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से। शारीरिक दोष व्याधि मुक्त होना चाहिए। एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण-पत्र या विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूर्नामेण्ट में प्रतिनिधित्व किया हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। वांछित योग्यता - कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे AICTE/DOEACC/NIELIT की मान्यता प्राप्त हो, या DOEACC/NIELIT द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय, या कम्प्यूटर दक्षता जांच।
2.	चालक	Level-2 (19,900 - 63,200) + नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते	<ul style="list-style-type: none"> मैट्रिक पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) धारक।

4. आरक्षण :-

- जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।**
- ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक- 08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-
 - जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)
 - स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र**ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-**
 - जाति प्रमाण-पत्र
 - स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

3.3.16

- (v) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
- (vi) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं.-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-I (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक- 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक- 30.08.2016 के साथ विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (xi) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र परिषद् कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान परिषद् सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय किये गये दावे के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों का प्रमाण-पत्र वार नम्बर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। Document Verification के समय ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रमाण-पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. उम्र सीमा :-

- (i) न्यूनतम आयु - दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम उम्र - 18 (अठारह) वर्ष।
- (ii) अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष। आवेदक की अधिकतम उम्र ऑनलाईन आवेदन के अंतिम तिथि को अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए।

परिषद् सचिवालय द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

ड.क.सै.

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

6. (1) परीक्षा की पद्धति – सुरक्षा प्रहरी तथा चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी –

(क) **सुरक्षा प्रहरी** के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी –

सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी – (1) शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) एवं (2) साक्षात्कार।

(क) शारीरिक योग्यता परीक्षा 50 अंकों की एवं साक्षात्कार 50 अंकों की होगी।

(ख) दौड़ स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा।

(ग) **दौड़ – 50 (पचास अंक) –**

(1) **सभी कोटि के पुरुषों के लिए** – 01 (एक) मील (1.6 कि.मी.) [अधिकतम 06 मिनट में]

- 05 मिनट तक – 50 अंक
- 05 मिनट से अधिक एवं 05 मिनट 20 सेकेंड तक – 40 अंक
- 05 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 05 मिनट 40 सेकेंड तक – 30 अंक
- 05 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 06 मिनट तक – 20 अंक

(06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।)

(2) **सभी कोटि की महिलाओं के लिए** – 01 (एक) कि.मी. [अधिकतम 06 मिनट में]

- 05 मिनट तक – 50 अंक
- 05 मिनट से अधिक एवं 05 मिनट 20 सेकेंड तक – 40 अंक
- 05 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 05 मिनट 40 सेकेंड तक – 30 अंक
- 05 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 06 मिनट तक – 20 अंक

(06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।)

मेधा सूची – शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होंगे। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) **चालक** के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी –

चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी – (1) चालन कौशल एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा एवं (2) साक्षात्कार।

(1) चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चालन कौशल एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा (75 अंक) तथा साक्षात्कार (25 अंक) कुल प्राप्तांक 100 अंकों की ली जायेगी।

(2) चालन कौशल एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होंगे। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।

30.3.16

मेधा सूची – चालन कौशल एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

7. परीक्षा शुल्क –

(क) सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के प्रत्येक पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क –

- i. बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 400/- (चार सौ) रुपये
- ii. बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला अभ्यर्थियों के लिए 400/- (चार सौ) रुपये
- iii. बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 800/- (आठ सौ) रुपये

(ख) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन आवेदन करते समय Credit/Debit Card/UPI के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा। जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं—

(क) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए परिषद् सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ख) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे।

(ग) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि एवं समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(घ) अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ङ) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम-से-कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या परिषद् सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending के लिए परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

9. महत्वपूर्ण निर्देशः—

30.06.2022

- (1) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application" से भरा आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। परिषद् सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर Application Number के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु परिषद् सचिवालय स्वतंत्र रहेगा।
- (3) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (4) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ परिषद् सचिवालय के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (5) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश परिषद् सचिवालय के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (6) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (7) किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा।

कु. इ. सिंह
21.07.2023

(कमलेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्